अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

प्रकाश निषाद ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

रूपलाल यादव ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....76.............सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। ~~थाना~~ प्रभारी/अंचल अधिकारी बगोदर...के ज्ञापांक सं0..179... दिनांक .02:03:2022....के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक..28/03/22... को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा S/C दाखिल। To 1/9/22 [signature]	
1.9.22	प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप० पुनरावलोकन वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार पुनरावलोकन पक्ष भूमि मौजा- नारानारी में स्थित खाता - 01, प्लाट - 676, रकबा - 40 डी. की है। खतियानी के अनुसार प्रथम भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है जिसे प्रथम पक्ष को गैर निबंधित हुकुमनामा के माध्यम से हासिल है, उक्त हुकुमनामा वर्ष 1945 में प्राप्त है तथा भूतपूर्व जमींदार द्वारा वर्ष 1948 ई० खास का रसीद निर्गत किया गया। साथ ही अंचल कार्यालय से वर्ष 2021 तक लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि दिनांक 20.11.2021 को द्वितीय पक्ष हथियार से लैस	

3

...की क्र० सं० ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	होकर आये तथा उक्त भूमि पर निर्मित झोपड़ी आदि को तोड़ दिये जिसकी सूचना अंचल कार्यालय को भी दी गई।	
	प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में सादा हुकुमनामा की छाया प्रति, पर्चा रिपोर्ट की छाया प्रति, खानापुरी अमीन की छाया प्रति, रसीद सं० -189 की छाया रसीद सं० - 2824 की प्रति रसीद सं० - 2824 की प्रति, अंचल कार्यालय छाया प्रति, अंचल कार्यालय से निर्गत सरकारी रसीद सं० - 0001730597 5980991/ 056839 की छाया प्रति दाखिल किया गया है।	
	द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार उक्त भूमि को ग्राम - नारायणी में स्थित खाता-1, प्लाट-678, रकबा-2.60 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा हुकुमनामा से हासिल है। उक्त बन्दोबस्ती के पश्चात द्वितीय पक्ष के पूर्वज एवं वर्तमान में द्वितीय पक्ष दखलकार रहे हैं। अंचल कार्यालय से उक्त भूमि का लगातार मालगुजारी रसीद निर्गत होता आ रहा है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खाता चौहद्दी उ० - घोरनी महतो, द० - बिशुन महतो पू० - कालीचरण राम, प० - गिरधारी महतो अंकित किया गया है वहीं आवेदन के सिड्यूल में चौहद्दी उ० - कमारा चौधरी, द० - बिशुन महतो पू० - सड़क, प० - गिरधारी महतो अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा उत्तर दिशा की चौहद्दी को अपने आवेदन में अलग-अलग बनाया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा जमींदारी उन्मूलन की तिथि के बाद का खालसा रसीद दाखिल किया गया है जो प्रथम दृष्टया जाली प्रतीत होता है। भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रथम पक्ष को 12.04.1945 को हुकुमनामा निर्गत किया गया है तथा प्रथम खालिसा रसीद 16/1/1948 का निर्गत खालिसा रसीद दाखिल किया गया है। सामान्य तौर पर हुकुमनामा निर्गत होने के साथ-साथ ही लगान की वसूली की जाती थी। हुकुमनामा निर्गत होने के लगभग तीन वर्षों के पश्चात प्रथम खालिसा रसीद निर्गत होना हुकुमनामा एवं रसीद की वैधता को संदेहास्पद बनाता है। 01.01.1946	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा एक ही जमीन की तीन अलग-अलग चौहद्दी अपने आवेदन में बताया गया है। साथ ही हुक्मनामा निर्गत करने वाले जमींदार के नाम का भी उल्लेख अपने आवेदन में नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष 1956 में निर्गत खाजाना रसीद दाखिल किया गया है जबकि उस समय तक जमींदारी का उन्मूलन हो गया था, इस प्रकार यह रसीद भी फर्जी है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को तंग तबाह करने के लिये यह मुकदमा लाये हैं। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में वर्ष 1932 में निर्गत हुक्मनामा एवं फर्द जमीन रिपोर्ट की छाया प्रति, खाजाना रसीद की छाया प्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में भिन्न चौहद्दी अंकित किया है। आवेदन के पृष्ठ भाग	

6

,देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6	के पश्चात् निर्गत कराया इस्तमरारी मान्य नहीं है। उक्त विवेचन के आलोक में विधि व्यवस्था के संधारणार्थ निषेधाज्ञा को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरस्त घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि से साठ दिनों तक प्रभावी होगा। चूँकि उभय पक्ष सरकारी भूमि पर इस्तमरारी के आधार पर दावा कर रहे हैं अतः अंचल अधिकारी उनके दावे की वैधता को जाँच लें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ह० 1/09/22 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.02 16:30:43 +05:30
Location: 192.168.1.12